संख्याः– 233 / 2005 / XIV–1 / 2005

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तरांचल अल्मोड़ा।

सहकारिता अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 29 अप्रैल,2005

विषयः– **लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को सहकारी ऋणों पर राजकीय अनुदान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल राज्य में सहकारिता आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा लिये जाने वाले सहकारी ऋणों पर ब्याज दरों में कमी कर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु **"सहकारी सहभागिता योजना"** प्रारम्भ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन / मध्यकालीन, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं आवास निर्माण हेतु ऋणों पर लागू ब्याज दरों का क्रमशः 4 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

2. **"सहकारी सहभागिता योजना"** की विशिष्टतायें एवं शर्तें निम्नवत् हैं:–

(1) उक्त योजना दिनांक 01 मई 2005 से स्वीकृत ऋणो पर लागू होगी।

(2) उक्त योजना दिनांक 01 मई 2005 से प्रारम्भ होगी और चालू वित्तीय वर्ष तक ही लागू होगी। अर्थात उक्त अवधि के दौरान जिन लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों द्वारा ऋण लिया जायेगा उन्हीं को योजना का लाभ दिया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत केवल लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार के कृषक आच्छादित्त होगें तथा एक परिवार के एक ही सदस्य को योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित / घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र / मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

(5) उक्त योजना का लाभ सहकारी बकायादार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा।

(6) यदि पात्र लाभार्थी / कृषकों को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य ब्याज दर के अनुसार वसूली की जायेगी।

(7) आवास ऋण की अधिकतम सीमा योजनान्तर्गत 1.00 लाख (रू0 एक लाख) रूपये होगी और लाभार्थी को एक बार ही मदन निर्माण/विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध होगा।

(8) सहकारी समिति/जिला सहकारी बैंक/शीर्ष सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा योजना के अनुरूप वित्तीय आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु क्लेम निबन्धक सहकारी समितियां उत्तांचल को प्रस्तुत करने के उपरान्त निबन्धक सहकारी समितियां की संस्तुतियों के उपरान्त शासन द्वारा राजकीय अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(9) योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋणों की त्रैमासिक प्रगति जनपदवार अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। त्रैमासिक समीक्षा के उपरान्त ही राजकीय अंश की स्वीकृति की जायेगी।

3. उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा सहकारी संस्थाओं से अल्पकालीन/मध्यकालीन, दीर्घकालीन एवं आवासीय ऋणों पर पडने वाले ब्याज दर एवं उस पर शासन/जिला सहकारी बैंकों द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय भार का विवरण संलग्न हैं। कृपया उक्त सहकारी योजना के अधिकाधिक लाभ हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवारों को लाभान्वित करने का कष्ट करें।

4. यह योजना 1 मई,2005 से 31 मार्च,2006 तक सीमित रखी जायेगी।

5. राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाने वाली सहायता का भुगतान बजट में निहित लेखा शीर्षक के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 प0 संख्या 101/वित्त अनु-2/05 दिनांक 28 अप्रैल, 2005 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव।

संख्याः-233(1)/2005/XIV-1/2005/तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
4. समस्त जिला सहायक निबन्धक उत्तरांचल।
5. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल ।
6. निदेशक, एन.आई.सी. उत्तरांचल।
7. वित्त/नियोजन विभाग उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव।

शासनादेश संख्या–233/2005/XIV–1/2005 का संलग्नक

"सहकारी सहभागिता योजना" के अन्तर्गत ब्याज दरें एवं वित्तीय भार की स्थिति

क्र. स.	विवरण	01.04.04 से पूर्व ब्याज दर (प्रतिशत में	01.04.04 के पश्चात ब्याज दर	01.05.2005 या इसके बाद योजना प्रारम्भ से ब्याज दर	वित्तीय भार की वहनता प्रतिशत /राशि		
					जिला सहकारी शीर्ष बैंक	राज्य सरकार	कुल
1	अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण 50,000/ तक	11 प्रतिशत	9 प्रतिशत	5 प्रतिशत	2 प्रतिशत	4 प्रतिशत	6 प्रतिशत
	50,000/से अधिक	12 प्रतिशत	11 प्रतिशत	5.5 प्रतिशत	1.0 प्रतिशत	5.5 प्रतिशत	6.5 प्रति०
2	दीर्घकालीन ऋण	12.5 प्रति०	12.5 प्रति०	5.5 प्रति०	1.5 प्रति०	5.5 प्रति०	7 प्रति०
3	कृषक आवास ऋण	9 प्रति०	8 प्रति०	5 प्रति०	1 प्रति०	3 प्रति०	4 प्रति०

(नवीन चन्द शर्मा,
सचिव।